[2022] 6 एस. सी. आर 871

/

मेसर्स मित्रा एस. पी. (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम

धीरेन कुमार

(सिविल अपील सं. 2022 का 4863-4866) अगस्त 04,2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

श्रम कानून-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 -एस. 33 (सी) (2)-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सामान्य निर्णय पारित किया-प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करते हुए जिसमें प्रबंधन ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित मूल निर्णय और पुरस्कार को चुनौती दी और श्रम न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्मचारी द्वारा पसंद की गई रिट याचिका को अनुमति दी।33(ग) (2) आवेदन-आयोजितःजहाँ तक प्रबंधन द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने का संबंध है, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में केवल एक ही निवेदन था और एकल न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार कर दिया-यह किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है-हालाँकि, साथ ही, श्रमिक द्वारा पसंद की गई रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, एकल न्यायाधीश द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर कोई चर्चा नहीं की गई थी।33(ग) (2) आवेदन-एकल न्यायाधीश को श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अस्वीकार करने पर कुछ निष्कर्ष देने चाहिए थे।33(ग) (2) आवेदन-इन परिस्थितियों अंतर्गत , गुण-दोष के आधार पर कर्मचारी द्वारा पसंद की गई रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया जाता है।

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील सं. 4863-4866।

/

अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.03.2022 से रिट अपील Nos.615 और 2021 के 617 और 2001 के रिट याचिका Nos.2955 और 2009 के 5271 में दिनांकित 28.12.2018 आदेश से।

/

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, धनंजय मिश्रा, रतीश राय, नवनीत डोगरा, रामेंद्र मोहन पटनायक, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।के. परमेश्वर, पाई अमित, अभ्युदय वत्स, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

871 ए.

872

/

[2022] 6 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. संबंधित रिट याचिका संख्या 2955/2021 और 5271/2009 में रिट अपील संख्या 615/2021 और 617/2017 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रबंधन ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

2. प्रतिवादी-कर्मचारी को विशाखापत्तनम में कंपनी की शाखा के साथ एक कनिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।जब वे विशाखापत्तनम में काम कर रहे थे, तब उन्हें ओडिशा राज्य के झारसुगुडा में स्थानांतरित कर दिया गया था।कर्मचारी ने स्थानांतरण के स्थान पर शामिल होने के बजाय निदेशक को कर्नाटक राज्य के मैंगलोर में स्थानांतरण का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।उसी को स्वीकार नहीं किया गया।स्थानांतरण के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, कर्मचारी ने ओ. एस. सं. 1602/1997 दायर किया।दीवानी न्यायालय ने कर्मचारी की प्रार्थना के अनुसार कोई राहत नहीं दी।इसके बाद, विशाखापत्तनम में शाखा कार्यालय द्वारा 14.08.1997 पर कर्मचारी को मुक्त कर दिया गया।हालाँकि उक्त राहत का आदेश कर्मचारी को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसने न तो विशाखापत्तनम में कार्यभार सौंपा और न ही वह झारसुगुडा कार्यालय में ड्यूटी के लिए आया।इसलिए, प्रबंधन ने उन्हें विशाखापत्तनम कार्यालय से डब्ल्यू. ई. एफ. 14.08.1997 से मुक्त माना।इसके बाद, प्रबंधन ने स्थानांतरण के निर्देशों का पालन करने के लिए 24.10.1997 दिनांकित एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया अन्यथा कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।इसके बाद कर्मचारी अंतर्गत निलंबित कर दिया गया।घरेलू जांच के आदेश दिए गए थे।जांच एकतरफा रूप से आगे बढ़ी।इसके बाद, प्रबंधन ने कर्मचारी को डब्ल्यू. ई. एफ. 15.09.1998 सेवा से बर्खास्त कर दिया।बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित होकर, कर्मचारी ने श्रम न्यायालय के समक्ष

आई. डी. नंबर 219/1998 दायर किया।श्रम न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय और पुरस्कार के माध्यम से संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि को रोकने के साथ बर्खास्तगी के आदेश को संशोधित किया और कामगार को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें कामगार को आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर झारसुगुडा में अपने स्थानांतरण के स्थान पर शामिल होने का निर्देश दिया गया, जिसमें विफल रहने पर वह बहाली का हकदार नहीं होगा।श्रम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि कर्मचारी के अपने नए स्टेशन पर शामिल होने के बाद प्रबंधन विशाखापत्तनम या मैंगलोर में पुनः स्थानांतरण के लिए कर्मचारी के अनुरोध पर विचार करेगा और यदि कर्मचारी एक महीने के भीतर झारसुगुडा में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो वह मजदूरी या सेवा की निरंतरता को वापस करने का हकदार नहीं होगा।प्रबंधन ने डब्ल्यू. पी. नंबर 2955/ए दाखिल किया।

/

/

/

/

/

/

873

मेसर्स मित्रा एस. पी. (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामधीरेन कुमार [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

2001 उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष।22.02.2001 पर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने श्रम न्यायालय के आदेश को अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया।इसके बाद, एकल न्यायाधीश ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-बी का पालन करने वाले प्रबंधन की शर्त के अधीन अंतरिम रोक देने वाले उक्त अंतरिम आदेश को संशोधित किया।

/

2.1 कर्मचारी की ओर से यह मामला है कि उसके बाद वह झारसुगुडा में रिपोर्ट करता था, लेकिन उसे इस आधार पर शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई कि मुख्य कार्यालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे।इसलिए, कर्मचारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) (संक्षेप में "आईडी अधिनियम") के अंतर्गत श्रम न्यायालय के समक्ष 01.01.1998 से 30.04.2005 तक मजदूरी की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया।

आई. डी. अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत उक्त आवेदन को श्रम न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि कर्मचारी ड्यूटी में शामिल होने के लिए झारसुगुड़ा नहीं गया था।उसी से नाराज होकर, कर्मचारी ने डब्ल्यू. पी. नंबर 5271/2009 दाखिल किया।श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय के खिलाफ प्रबंधन द्वारा दायर दोनों रिट याचिकाओं और श्रम न्यायालय द्वारा धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली कर्मचारी द्वारा दायर दोनों रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई। पहली बार विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रबंधन ने श्रम न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दा उठाया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रबंधन को पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।साथ ही, श्रम न्यायालय द्वारा आई. डी. अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत आवेदन को खारिज करने के आदेश के गुण-दोष पर आगे कोई चर्चा किए बिना, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कर्मचारी द्वारा पसंद की गई रिट याचिका संख्या 5271/2009 को अनुज्ञात और आई. डी. अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत आवेदन को खारिज करने वाले श्रम न्यायालय के आदेश-एम. पी. संख्या 43/2005 दिनांक 16.12.2008 को रद्द कर दिया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी सभी परिणामी लाभों के साथ 1998 के आई. डी. संख्या 219 में न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसरण में सभी लाभों का हकदार है।

/

/

/

/

/

2.2 रिट याचिका संख्या 2955/2001 और 5271/2009 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रबंधन ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपीलों को प्राथमिकता दी।सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने

/

अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिट याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत थीं और इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपीलें बनाए रखने योग्य नहीं होंगी।इसलिए, वर्तमान अपीलें।

3. हमने अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे और प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के. परमेश्वर को उपस्थित होते हुए सुना है।

/

4. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से, यह प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष जिसे चुनौती दी गई थी, वह श्रम न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत आवेदन को खारिज करने वाला आदेश था, जिसे श्रमिक द्वारा पसंद किया गया था और साथ ही श्रम न्यायालय द्वारा पारित मूल पुरस्कार भी था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करते हुए सामान्य निर्णय और आदेश पारित किया जिसमें प्रबंधन ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित मूल निर्णय और पुरस्कार को चुनौती दी और कर्मचारी द्वारा उसकी धारा 33 (सी) (2) आवेदन को खारिज करने वाली रिट याचिका को अनुज्ञात ।

/

/

4.1 जहाँ तक प्रबंधन द्वारा श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में केवल एक प्रस्तुति की गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे नकार दिया था।इसलिए, जहां तक श्रम न्यायालय द्वारा मूल निर्णय और अधिनिर्णय के खिलाफ प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का संबंध है, वह किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

/

4.2 हालांकि, साथ ही, धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत आवेदन को खारिज करने को चुनौती देने वाली कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुज्ञात करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि 33 (सी) (2) आवेदन को खारिज करने वाले श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर कोई चर्चा नहीं हुई है और बिना किसी चर्चा और/या 33 (सी) (2) आवेदन को खारिज करने वाले श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए बिना, कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश को कामगार द्वारा योग्यता के आधार पर प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करना चाहिए था और 33 (सी) (2) आवेदन को खारिज करते हुए श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर कुछ निष्कर्ष देने चाहिए थे।

/

/

/

875

मेसर्स मित्रा एस. पी. (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामधीरेन कुमार [एम. आर. शाह, जे.]

/

5. जिन परिस्थितियों अंतर्गत , विद्वान एकल द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जहां तक श्रमिक द्वारा पसंद की गई रिट याचिका संख्या 5271/2009 को अनुमति देने का संबंध है, उसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर और आज से छह महीने की अवधि के भीतर रिट याचिका संख्या 5271/2009 पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामला विद्वान एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 5271/2009 में पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न दीवानी अपीलों को तदनुसार अनुज्ञात जाती है।रिट याचिका संख्या 2955/2001 से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को तुरंत उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को बताए।सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिका के शीघ्र निपटारे में और ऊपर निर्धारित समय के भीतर विद्वान एकल न्यायाधीश को सहयोग करें।यदि उच्च न्यायालय की राय है कि कोई भी पक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, तो उच्च न्यायालय के लिए कारण दर्ज करके एकतरफा रिट याचिका की सुनवाई के साथ आगे बढ़ना खुला रहेगा।

/

/

वर्तमान अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/

/

/